क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. जबलपुर में फर्जी बिल लगाकर किये गए गबन एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने विषयक।

--00--

1. जिला कोषालय अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. जबलपुर के द्वारा देयक क्रमांक 200021233899 एवं 200021233683 दिनांक 28.02.2025 (संलग्न प्रति-1) में संलग्न स्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर जिला कोषालय द्वारा आपत्ति लेते हुए देयक की त्रुटि के सम्बंध में दूरभाष पर सम्बंधित कार्यालय को अवगत कराये जाने के उपरांत सम्बंधित कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्र./एल.एफ.ए.जे./प्रति./2024-25/3722 दिनांक 28.02.2025 के माध्यम से जिला कोषालय को सूचित किया गया कि समबंधित देयक के साथ संलग्न स्वीकृति आदेश उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किये गये है ।

2. उक्त आदेश के प्राप्त होने उपरांत संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर जिला कोषालय द्वारा आंतरिक रूप से जांच प्रारंभ की जिससे प्रकाश में आया कि उक्त कार्यालय द्वारा माह फरवरी 2024 से जनवरी 2025 के दौरान आहरित वेतन के रूप में सम्बंधित श्री संदीप शर्मा के वेतन देयक में वेतन के साथ व्यक्तिगत वेतन में अत्यधिक वृद्धि कर राशि लगभग 53,55,000/- का अतिरिक्त आहरण किया गया।

3. प्रारंभिक जांच उपरांत पायी गई उपरोक्त एवं कतिपय अन्य वित्तीय अनियमितताओं के विषय में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के द्वारा अपने आदेश क्र./जि.को./जॉच/2025/2053 जबलपुर, दिनांक 06.03.2025 के माध्यम से 08 सदस्यीय समिति का गठन किया गया । उक्त समिति विस्तृत जांच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला जबलपुर को प्रस्तुत किया गया है ।

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर आहरण संवितरण अधिकारी के रूप में जिला कोषालय कार्यालय जबलपुर के स्थान पर नगर कोषालय जबलपुर के अंतर्गत मैप था । वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसका संविलियन जिला कोषालय में हुआ । अत: समिति के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 03.03.2025 तक संपरीक्षा विभाग के समस्त भौतिक दस्तावेज/अभिलेख एवं IFMIS से प्राप्त डीडीओ कोड 1800406001 के अद्धतन data से मिलान करते हुए परीक्षण किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पूर्व के दस्तावेज समिति को उपलब्ध नहीं है ।

5. संयुक्त संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा उनके कार्यालय के डीडीओ कोड 1800406001 के अंतर्गत उत्सादित/जेनरेटेड वेण्डर जिन्हें संदिग्ध रूप से भुगतान किया गया है की सूची पत्र के माध्यम से प्रेषित की । जॉच समिती के द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से प्रदाय की गई जानकारी अपनी जांच में सम्मिलित किया । जांच के दौरान IFMIS से प्राप्त संपरीक्षा कार्यालय के डीडीओ कोड 1800406001 के अद्धतन data से मिलान किये जाने पर दी गई सूची में उल्लेखित खातों में किया गया भुगतान फर्जी/अदेय पाया गया ।

उक्त सूची अनुसार समस्त संदिग्ध खातों को फ्रीज कराये जाने हेतु जिला कोषालय जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्र. 2103 दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को लेख किया जा चुका है।

6. समिति द्वारा की गई जांच में प्राप्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर फर्जी भुगतान एवं गबन में उपयोग की गई अलग-अलग प्रक्रिया निम्नानुसार है -

संदीप शर्मा सहा.ग्रेड-3 के रूप में वर्ष 2012 से लेखा शाखा में संलग्न होकर, IFMIS में बिल क्रिएशन का कार्य कर रहे थे । इनका मुख्य दायित्व पे रोल जेनरेशन एवं बिल क्रिएशन में क्रिएटर (स्टेज 1) का था । मुख्य रूप से कोई भी बिल इन दो घटक के अंदर इनके द्वारा ही तैयार किया जाकर के आगे वेरीफायर (स्टेज 2) और उसके पश्चात अप्रवूर (स्टेज 3) से स्वीकृत कराया जाता था । संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने से एवं तकनीकी ज्ञान में दक्ष होने के कारण यह कार्य संदीप शर्मा करते थे । इनके द्वारा निम्न श्रेणियों में फर्जी बिल लगाये गये-

6.1 नियमित रूप से आहरित किये जाने वाले एन.पी.एस. श्रेणी के कर्मचारियों हेतु जेनरेट होने वाले वेतन देयक में, उपलब्ध "Personal Pay (PP)" में परिवर्तन किया जाता था । पर्सनल पे हेतु IFMIS सॉफ्टवेयर में 5 लाख तक के लिए मैन्युअल एंट्री हो सकती है, अर्थात् इसमें 5 लाख तक की संख्या व्यक्ति अपने स्तर से दर्ज कर सकता है जिसका फायदा श्री संदीप शर्मा ने अपने वेतन के लगभग 1300 प्रतिशत से अधिक रू 4,35,000 से 4,50,000 तक के अनाधिकृत राशि के आहरण किए । वास्तव में इनका शुद्ध रूप से वेतन लगभग 32000 से 34000 के बीच है ।

6.2 ऊपर दी गई प्रक्रिया के माध्यम से संदीप शर्मा के द्वारा माह फरवरी 2024 से जनवरी 2025 तक के देय वेतन से अधिक कुल राशि रूपये 56,58,718 का अनाधिकृत आहरण किया जाना पाया गया।

6.3 कर्मचारी को देय महंगाई भत्ता के एरियर के बिल को ऑनलाइन तैयार करने के दौरान एरियर जेनरेशन हेतु उपलब्ध ''Adjustment'' के घटक में परिर्वतन किया गया यह घटक भी पर्सनल पे के घटक के जैसे मैन्युअल एंट्री स्वीकृत करता है । जिसका फायदा इन्होंने अपने स्वयं एवं कार्यालय में ही पदस्थ कर्मचारी श्री अनूप कुमार बौरिया (एम्प्लाई कोड 181018311) को पहुंचाया । अनूप कुमार बौरिया की शुद्ध डी.ए.एरियर की राशि स्वीकृति आदेश अनुसार रू 2808.00 अंकित थी, परंतु IFMIS Software में गलत मेन्युअल एंट्री कर श्री अनूप कुमार बौरिया को स्वीकृत राशि से अधिक रूपये 2,53,008.00 का अनाधिकृत भुगतान कर लगभग 2.50 लाख का अनुचित लाभ दिया। स्वयं संदीप शर्मा द्वारा डी.ए.एरियर के रूपये में सामान प्रक्रिया अपनाते हुए राशि 7.00 लाख से अधिक का अनुचित लाभ लिया ।

6.4 सेवानिवृत्ति उपरांत अर्जित अवकाश समर्पण, समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण निधि की राशि के भुगतान की सामान्य प्रशासनिक एवं निर्धारित प्रक्रिया है । जिस हेतु कर्मचारी के कार्यालय द्वारा शेष रह गए दिवसों तथा सेवा अवधि के आधार पर देय राशि की गणना विहित फॉर्मूला / पत्रक अनुसार की जाकर कर एवं कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन उपरांत भुगतान स्वीकृति आदेश सहित कोषालय में देयक प्रक्रिया से भुगतान हेतु अग्रेषित किया जाता है ।

6.5 अर्जित अवकाश समर्पण, समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण निधि में श्री संदीप शर्मा द्वारा दो तरीके से पैसों का आहरण किया गया । पहला- ऐसे लोग जो वास्तव में कभी विभाग में सेवारत नहीं थे, उनके नामों से एवं ऐसे लोग जो कि विभाग में कभी सेवा में नहीं थे, उनको मृत दिखाकर के उनके फर्जी नॉमिनी के पक्ष में पैसा जारी कराया गया । यह सभी लोग या फिर तो संदीप शर्मा के परिवार से थे या उनके जान-पहचान के प्रतीत होते हैं । इस पूरी प्रक्रिया को करने हेतु फर्जी हस्ताक्षर कर स्वीकृति आदेश पारित करवाना, गलत वेंडर

बनाना, फर्जी एम्प्लाई कोड और प्रान नंबर जनरेट कराना, कूटरचित गणना पत्रक, अवकाश लेखा, फर्जी सेवा तथा नॉमिनेशन अभिलेख सृजित कर भुगतान हेतु कोषालय को अग्रेषित किया ।

6.6 चूंकि कोषालय के IFMIS में समस्त जानकारी संपरीक्षा कार्यालय स्तर से ही फीड की जाती थी । अत: जिला कोषालय स्तर पर पृथक से सत्यापन की व्यवस्था न होने का लाभ संदीप शर्मा ने उठाया । उल्लेखित प्रक्रिया के माध्यम से लगभग राशि रूपये 4,69,82,551.00 का अर्जित अवकाश समर्पण एवं समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण निधि में 57,87,479.00 इस प्रकार कुल 5,27,70,030.00 रूपये का भुगतान संदीप शर्मा ने अपने रिश्तेदार एवं अन्य व्यक्तियों को उनके निजी बैंक खातों में पहुंचाया । उक्त षडयंत्र के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा बैंक खाता विवरण सहित सूची पुलिस को उपलब्ध कराई गई है।

6.7 श्री संदीप शर्मा ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी अपने जानकार व्यक्तियों को कर्मचारी या उनके नॉमिनी के रूप में फर्जी सेवानिवृत्ति उपरांत विभागीय भविष्य निधि से अंतिम आहरण के रूप में अनाधिकृत स्वत्व के भुगतान करे । इसके लिए भी इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित विभागीय भुगतान प्राधिकार पत्र/आदेश, गणना पत्रक,डीपीएफ वार्षिक लेखा पर्ची(यॉ), सेवा अभिलेख एवं नॉमिनेशन अभिलेख आदि सृजित कर देयकों को कोषालय में लगाया ।

6.8 उल्लेखित प्रक्रिया के माध्यम से लगभग राशि रूपये 95,23,129.00 का अनाधिकृत आहरण किया जाना पाया गया। उक्त माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा बैंक खाता विवरण सहित सूची पुलिस को उपलब्ध कराई गई है।

6.9 यह समस्त प्रकार के स्वत्वों का भुगतान राज्य की संचित निधि से आहरित कर किया जाता है । उक्त प्रकार के समस्त स्वत्व व्यक्ति विशेष के नाम से पृथक खाते अथवा पूल में संचित न किये जाकर सामान्य रूप से राज्य के कोष में जमा रहते हैं । जिससे एक कॉमन पूल से आहरण कर पाने में आसानी है । अत: किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पकड़ने के लिए आपत्ति उठाने हेतु आंतरिक प्रक्रिया/इंटरनल टूल नहीं हो से यह अनाधिकृत आहरण नजर में नहीं आया ।

6.10 जांच के दौरान समिति द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय से उनके कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सूची मांगी गई । जिसके मिलान करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि श्री संदीप शर्मा ने प्रतीक शर्मा नाम के फर्जी एम्प्लाई कोड एवं प्रान नंबर जनरेट कराए और उनको कार्यालय के IFMIS में ऑनलाईन दर्ज कराया । यह व्यक्ति कार्यालय में कभी भी कार्यरत नहीं थे । इन के नाम से सैलरी राशि 10,73,232.00 एवं अन्य स्वत्वों का आहरण किया गया है ।

6.11 इनको सैलरी देने के लिए STOP SALARY PAYMENT पद्धति से किया । इस हेतु कार्यालय के समस्त कर्मचारियों (जो भी उक्त डीडीओ कोड अंतर्गत मैप हैं) का संपूर्ण पे-रोल जनरेट कर <u>अप्रमाणित</u> एम्प्लाई कोड सम्बंधी (फर्जी) कर्मचारी के वेतन को STOP SALARY के माध्यम से तत्समय रोककर बाद में भुगतान हेतु देयक पृथक से कोषालय में देयक प्रेषित किया जाना।

6.12 कुछ अंतरणों में यह भी प्रकाश में आया है कि भुगतान प्राप्तकर्ता को कभी कर्मचारी एवं कभी वेंडर के रूप में दिखाकर फर्जी /अदेय भुगतान भी किए है ।

6.13 इस प्रकार इन समस्त तरीकों में उपयोग होने हेतु संदीप शर्मा के द्वारा कार्यालय प्रमुख के (स्वीकृतकर्ता अधिकारी तौर पर) फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान स्वीकृति आदेश, गणना पत्रक तैयार करना, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे - प्रथम बार आहरण सम्बंधी, अवकाश लेखा, तथा अन्य उपप्रमाणक आदि सत्यापित करना ; सेवा पुस्तिका के सेवा अभिलेखों में नॉमिनेशन प्रपत्र में कॉट छॉट करना ; नगर निगम तथा ग्राम पंचायत के नाम से जारी "Digitally edited" मृत्यु प्रमाण पत्र सृजित किया जाना ; माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के नाम से फर्जी ऑर्डर शीट (अहस्ताक्षरित) सृजित करना ; कार्यालय महाधिवक्ता म.प्र. के पत्र में डिजिटल एडिटिंग कर फर्जी अभिलेख तैयार कर अपने संबंधी मित्र एवं अन्य जानकार लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया जोकि पूर्णत: सोची-समझी षडयंत्र का हिस्सा है ।

इलेक्ट्रानिक देयक तैयार, उत्सादित, प्रस्तुत एवं पारित करने की प्रक्रिया

7.1 आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालय अंतर्गत IFMIS सॉफ्टवेयर में बनाई गई पे-रोल जनरेशन हेतु उत्त्रदायी चैनल जिसमें कि क्रियेटर, वेरिफायर, अप्रूवर सम्मिलित होते हैं के द्वारा कार्यालयीन उपस्थिति अभिलेखों के आधार पर पे-रोल मॉड्यूल क्रियेटर द्वारा वेतन का ब्यौरा तैयार कर परीक्षण हेतु वेरिफायर के लॉगिन पर अग्रेषित किया जाता है जिसका समूचित परीक्षण कर उसे अप्रूवर की लॉगिन पर अग्रेषित किया जाता है।

7.2 प्राप्त वेतन ब्यौरे से संतुष्ट होने पर अप्रूवर द्वारा अपनी लॉगिन से उसे अनुमोदित किये जाने पर उक्त पे-रोल देयक के रूप में तैयार होने हेतु कार्यालय के Bill Generation Hierarchy में मैप किये गये क्रियेटर (कर्मचारी) की लॉगिन में प्राप्त किये जाते हैं ।

7.3 म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के परिशिष्ट 3 अंतर्गत, प्रत्येक आहरण संवितरण अधिकारी के लिये राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखा से किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिये धन का आहरण किये जाने हेतु कोषालय में देयक प्रस्तुत किये जाने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अत: परिशिष्ट - 3 अंतर्गत प्रावधान निम्नानुसार है:-

आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं देयक तैयार करने के लिये जिम्मेदार चैनल में मैप प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को IFMIS से उत्सादित लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड दिया जाता है, एवं नियमित रूप से कुछ अंतरालों पर पासवर्ड बदलते रहना सम्बंधितों से अपेक्षित है। सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी पासवर्ड की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है।

□□कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 73 तथा परिशिष्ट 3 के अनुसार Bill Generation Hierarchy में मैप किये गये क्रियेटर से अपेक्षित है कि वह अपने पासवर्ड के माध्यम से सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर विहित प्रारूप में समस्त सुसंगत विवरण सहित तथा मूल अभिलेख स्कैन तथा अपलोड कर इलेक्ट्रानिक देयक तैयार करे तथा वेरिफायर (यदि हो तो) अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अप्रूवर) को अग्रेषित करे।

- वेरिफायर द्वारा लॉगिन में प्राप्त देयकों का समग्र रूप से तथा नियम अनुसार परीक्षण कर संतुष्ट होने की स्थिति में ही अप्रूवर (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) की लॉगिन में अग्रेषित करे ।

- क्रियेटर/वेरिफायर द्वारा अग्रेषित देयक का आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अप्रूवर) द्वारा IFMIS में अपने पासवर्ड का उपयोग कर, देयक का सुसंगत नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा एवं भुगतान से सम्बंधित सभी विवरण यथा प्राप्तकर्ता/दावेदार का नाम बैंक खाता विवरण, दावे की राशि की गणना एवं देय राशि, सक्षम स्वीकृति, आवश्यक संलग्नक अभिलेख की सत्यता की जॉच करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो सुधार किया जावेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को समाधान हो जाने पर उनके द्वारा भुगतान हेतु देयक अनुमोदित किये जाने हेतु अपना ई-हस्ताक्षर अंकित किया जाना होगा जिसके पश्चात स्वयं के मोबाइल पर एक ओ.टी.पी. प्राप्त होगा जिसे साफ्टवेयर पर डाल कर अप्रूव करने के उपरांत देयक कोषालय में भुगतान हेतु स्वत: प्रेषित होगा ।
- कोषालय से पारित भुगतान के उपरांत पारित देयक की राशि का मैसेज भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के मोबाइल पर आता है जिससे वह पुष्टि कर सकता है कि कितनी राशि का देयक पारित हुआ है ।

8. श्री संदीप शर्मा कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा में वर्ष 2012 से कार्यरत हैं । जांच समिति द्वारा की गई जांच स्थानीय संपरीक्षा कार्यालय के डी.डी.ओ. कोड जिला कोषालयम में संविलियिन के पश्चात से आज दिनांक तक की स्थिति में किए गए भुगतान के आधार पर किया गया है । अभिलेखों के मिलान देयको के परीक्षण एवं प्राप्त सूचियों के आधार पर श्री संदीप शर्मा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर आज दिनांक तक लगभग राशि 6.99 करोड़ से अधिक का गबन किया गया है । उपरोक्त जांच के माध्यम से समक्ष में आई लंबे समय चल रही कूटरचना से यह प्रतीत होता है कि श्री संदीप शर्मा के साथ उनके कार्यालय में वेरीफायर श्रीमती सीमा अमित तिवारी, अप्रूवर श्री मनोज बरहैया (डी.डी.ओ) तथा पे रोल अप्रूवर श्रीमती प्रिया विश्नाई की संलिप्तता संदिग्ध है, जिसमें कथित तौर पर म.प्र.कोषालय संहिता के नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ आपराधिक कृत्य भी किया गया है ।

उपरोक्त अनुसार हेर-फेर के माध्यम से किए गए फर्जी अंतरण की राशि प्राप्त कर अनुचित लाभ उठाने वाले समस्त निजी व्यक्ति यथा १. अनिकेत विश्वकर्मा २.प्रतीक शर्मा ३. पुनीता ४. प्रियांशु शर्मा ५. शैरॉन अर्पित हैरिसन ६. शालोम विवियन गिल ७. आशीष विश्वकर्मा ८. मो.रयाज़ ९. राहुल शर्मा १०. कविता शर्मा ११. स्वाति शर्मा १२. दिलीप कुमार विश्वकर्मा १३.रूकसार परवीन १४. शिवम शर्मा १५. मो.सलीम १६. मो.शरीक १७. मो. उबेदुल्ला १८. पुष्पा देवी शर्मा १९. शुभम शर्मा २०. विनय कुमार २१.काशिफ आजमी २२.अनीशा शर्मा २३.दत्तारय सरवन २४. पूनम शर्मा २५. के.के.शर्मा २६. श्वेता शर्मा २७. कृतिका विश्वा २८. विकास कुमार २९. अनीता ३०. आकांक्षा ३१. सुष्मिता सरवन ३२. अनिल कुमार मिश्रा ३३. अनिल कुमार मरावी ३४. जया पासी ३५. मेनुका की भी उपरोक्त षडयंत्र में संलिप्तता प्रतीत होती है, जोकि विस्तृत जांच पडताल का विषय है ।

9. अत: कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा जबलपुर में पदस्थ-

1. श्री संदीप शर्मा, निवासी फ्लेट क्रं.410 चंद्रिका परिसर, गोरखपुर थाने के पीछे, बनारसी दास वार्ड जबलपुर
2. श्रीमती सीमा अमित तिवारी
3. श्री मनोज बरहैया (वर्तमान कार्यालय संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल सतपुडा भवन द्वितीय तल खण्ड-ग में पदस्थ है)
4. श्रीमती प्रिया विश्नाई निवासी म.नं.190 शताब्दीपुरम शहनाई गार्डर रोड के पास विजयनगर जबलपुर 482001
5. अनूप कुमार भौर्या

के विरूद्ध सुनियोजित षडयंत्र कारित कर शासकीय राशि के गबन हेतु जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं शासकीय ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से डिजीटल सिग्नेचर इत्यादि का दुरूपयोग करने के फलस्वरूप उक्त समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना ओमती में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

oooooooooooo